महत्वपूर्ण

संख्याः-2109/71-2-2013-18/2012

प्रेषक,

शिवराम त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

(3) निदेशक,
आर0आई0एम0एस0 सैफई,
इटावा।

(4) निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया
इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
लखनऊ।

(5) कुल सचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा
विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

(6) प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय एलोपैथिक
मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2013

विषयः- उ0प्र0 में असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर) के निःशुल्क उपचार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की जनता को असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर) की चिकित्सा सुविधा राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सकीय संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर) के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली-2013 प्रख्यापित कर दी गयी है।

2- उक्त नियमावली की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस नियमावली में निहित व्यवस्थानुसार प्रदेश में असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर) के निःशुल्क उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही अपने से संबंधित राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय में तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय स्तर से इसका प्रचार-प्रसार भी अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-2109 (1)/71-2-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

7133

ADME/ JDME

आज्ञा से,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव।

# उत्तर प्रदेश सरकार,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
संख्याः– 2181/71–2–2013–18/2012
लखनऊ दिनांक 20 जून, 2013

## अधिसूचना

### प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद–162 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सकीय संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में आए असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी) से ग्रस्त मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : –

## उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली–2013

### भाग–एक–सामान्य

1– **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/स्वायत्तशासी संस्थान में आए असाध्य रोगों **(कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी)** से ग्रस्त मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु **उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार नियमावली–2013** कही जायेगी।

यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– **प्रास्थिति**– उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ,/उ0प्र0 ग्रामीण आयुविर्ज्ञान संस्थान सैफई–इटावा/संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से है।

81

3– परिभाषायें–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) संविधान का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(ख)– उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के अधीन उत्तर प्रदेश का नागरिक हो या समझा जाये।

(ग)– सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(घ) राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(ड़)– असाध्य रोग का तात्पर्य कैंसर, हृदय रोग, किडनी एवं लीवर के असाध्य रोगों से है।

(च)– कुलपति का तात्पर्य चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति से है।

(छ)– प्रधानाचार्य का तात्पर्य राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य से है।

(ज)– निदेशक का तात्पर्य संस्थानों के निदेशक से है।

## भाग दो

**(1) लाभार्थियों की श्रेणी:–**

असाध्य रोगो (कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी) के निःशुल्क उपचार की चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत् लाभार्थियों की श्रेणी में बी0पी0एल0 कार्डधारकों एवं बी0पी0एल0 सूची के सदस्यों के साथ–साथ सवा तीन एकड़ तक की जोत के कृषक अथवा जिनकी आय रू0 35000.00 (रूपये पैंतीस हजार मात्र) वार्षिक से कम हो, सम्मिलित होंगे। कैंसर, हृदय रोग एवं यकृत रोगों से पीड़ित मरीज जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार की आवश्यकता हो, को यह सुविधा अनुमन्य की जाएगी।

**(2) असाध्य रोगों की श्रेणी:–**

निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदत्त किए जाने हेतु असाध्य रोगों का विशिष्टतावार विवरण निम्नवत् है:–

(i) कैंसर

- कैंसर से पीड़ित समस्त मरीज असाध्य रोग के अन्तर्गत् निःशुल्क उपचार की पात्रता श्रेणी में आएंगे।
- यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान चिकित्सा जगत में कुछ कैंसर का उपचार सम्भव है, ऐसी स्थिति में उक्त मरीज उपचार प्राप्त करने के पश्चात् साध्य श्रेणी में आगणित किया जाएगा। परन्तु भविष्य में पुनः कैंसर के लक्षण दिखायी देने पर उक्त मरीज को पुनः असाध्य रोग से पीड़ित मानते हुए निःशुल्क उपचार की सुविधा अनुमन्य की जाएगी।

(ii) <u>हृदय रोग</u>

समस्त हृदय रोगी, जिनमें रोगी को भर्ती कर इलाज करने की आवश्यकता होगी, असाध्य रोग के अन्तर्गत् निःशुल्क उपचार की पात्रता श्रेणी में आएंगे। आपात्कालीन हृदय रोगों की गणना भी इसी श्रेणी की जाएगी।

(iii) किडनी रोग–

यह उल्लेखनीय है कि किडनी के अनेक रोगों का पूर्णतया उपचार सम्भव है। ऐसी स्थिति में जो रोगी गुर्दे से सम्बन्धित निम्नवत् पीड़ित होंगे, को असाध्य रोगी की श्रेणी में रखा जाएगाः–

- दीर्घकालिक गुर्दा रोग जिनमें डायलिसिस अथवा गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो।
- डायलिसिस तथा गुर्दे की समुचित क्रिया की रक्षा एवं तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक साल्वेज शल्य क्रियाएं जैसे कि स्टंटिंग
- एकल गुर्दे/एकल क्रियाशील गुर्दा से संबंधित समस्त रोग।

(iv) यकृत

यह उल्लेखनीय है कि अनेक यकृत रोगों का पूर्ण उपचार सम्भव है। ऐसी स्थिति में जो रोगी यकृत रोगों से निम्नवत् पीड़ित होंगे, उन्हें असाध्य रोगी की श्रेणी में रखा जाएगा एवं तदनुसार उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध अनुमन्य होगीः–

- दीर्घकालिक यकृत रोग एवं लीवर प्रत्यारोपण।

- यकृत की समुचित क्रिया की रक्षा एवं तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक साल्वेज शल्य क्रियाएं जैसे कि स्टंटिंग एवं शंट।
- लघुकालिक अत्यन्त गम्भीर यकृत रोग

भाग–3

**निःशुल्क उपचार की प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन हेतु समिति का गठन**

- **नोडल समिति** – मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य / संस्थानों के निदेशक / चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उनके कालेजों / संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालय में नोडल समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे :–

  (क) मेडिकल कालेज / संस्थान / चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सालयों के सुपरिन्टेन्डेन्ट

  (ख) नामित नोडल आफिसर

  (ग) उपचार करने वाले सम्बन्धित चिकित्सक,

  (घ) चिकित्सा विशेषज्ञ / सम्बन्धित विभागाध्यक्ष,

  (च) मैट्रन / सम्बन्धित सिस्टर

  - नोडल समिति द्वारा इलाज की प्रक्रिया (साध्य / असाध्य श्रेणी) निर्धारित की जायेगी। नामित नोडल समिति द्वारा असाध्य श्रेणी का निर्धारण, रोगी का उपचार कर रहे चिकित्सक की संस्तुति के अनुसार किया जाएगा।
  - रोगी का निःशुल्क उपचार होने के पश्चात् सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा संगत चिकित्सकीय अभिलेख नोडल समिति को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा नोडल अधिकारी द्वारा एक संकलित रिपोर्ट समय–समय पर उच्च स्तर पर (प्रधानाचार्य / निदेशक / कुलपति) को उपलब्ध करायी जाएगी।

भाग–4

**बजट आवंटन** – चूँकि उपचार की व्यवस्था निःशुल्क है। अतएव संस्था / संस्थान का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति / समायोजन शासन

द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत नहीं की जायेगी तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा असाध्य रोगों की निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार वर्षवार/संस्थावार बजट आवंटित किया जायगा।

## भाग–5

**अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों के चिकित्सालय/संस्थानों /चिकित्सा विश्वविद्यालय में सन्दर्भित किया जाना**

यह कि ''जिन राजकीय मेडिकल कालेजों एवं स्वायत्तशासी चिकित्सकीय संस्थानों में जिस सीमा तक उक्त असाध्य रोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, उस सीमा तक उनका इलाज उस कालेज/संस्थान में तदनुसार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं उसके पश्चात् अग्रेतर इलाज के लिए अन्य कालेजों/संस्थानों में जहाँ उस स्तर की सुविधा उपलब्ध हों, **(परिशिष्ट–अ एवं ब के अनुसार)** में सन्दर्भित करते हुए उनका इलाज वहाँ कराए जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

इस नियमावली के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा केवल प्रदेश के भीतर राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सकीय संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी।

आज्ञा से

(जे0पी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत नहीं की जायेगी तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा असाध्य रोगों की निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार वर्षवार/संस्थावार बजट आवंटित किया जायगा।

भाग–5

**अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों के चिकित्सालय/संस्थानों /चिकित्सा विश्वविद्यालय में सन्दर्भित किया जाना**

यह कि "जिन राजकीय मेडिकल कालेजों एवं स्वायत्तशासी चिकित्सकीय संस्थानों में जिस सीमा तक उक्त असाध्य रोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, उस सीमा तक उनका इलाज उस कालेज/संस्थान में तदनुसार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं उसके पश्चात् अग्रेतर इलाज के लिए अन्य कालेजों/संस्थानों में जहॉ उस स्तर की सुविधा उपलब्ध हों, **(परिशिष्ट–अ एवं ब के अनुसार)** में सन्दर्भित करते हुए उनका इलाज वहॉ कराए जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

इस नियमावली के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा केवल प्रदेश के भीतर राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सकीय संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी।

आज्ञा से

(जे0पी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

परिशिष्ट--अ

# असाध्य रोगों के उपचार हेतु प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं स्वायत्तशासी संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

| क्रमांक | असाध्य रोग | किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ | संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ | डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ | उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **कैंसर** | | | | |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | ब–सम्बन्धित शल्य कियायें | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | स–रेडियोथिरैपी | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | द–कीमोथैरेपी | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 2 | **हृदय** | | | | |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध |
| | ब–एंजियोग्रॉफी | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | स–एंजियोप्लास्टी | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | द–पेसमेकर इम्प्लान्टेशन | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | ध– वेल्वोप्लास्टी | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | न–ओपेन हार्ट सर्जरी | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | प–वाल्व रिपेल्समेन्ट | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 3 | **लीवर** | | | | |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध |
| | ब–जीवनरक्षक शल्य कियाएं,जैसे कि स्टंटिंग एवं शंट ऑपरेशन | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | स–लीवर प्रत्यारोपण | अनुपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |
| 4 | **किडनी** | | | | |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध |
| | ब–डायलिसिस | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध |
| | स–साल्वेज शल्यकियाएं, जैसे कि स्टंटिंग | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध |
| | द–गुर्दा प्रत्यारोपण | अनुपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध |

(8)

परिशिष्ट–ब

## असाध्य रोगों के उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कालेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

| कमांक | असाध्य रोग | आगरा | मेरठ | झाँसी | गोरखपुर | इलाहाबाद | कानपुर | जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर | हृदय रोग संस्थान, कानपुर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **कैंसर** | | | | | | | | – |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | उपलब्ध | कृपया स्तम्भ–9 देखें | उपलब्ध | |
| | ब–सम्बन्धित शल्य कियायें | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | उपलब्ध | |
| | स–रेडियोथिरैपी | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | उपलब्ध | |
| | द–कीमोथैरेपी | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | उपलब्ध | | उपलब्ध | |
| 2 | **हृदय** | | | | | | | – | |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | कृपया स्तम्भ–10 देखें | | उपलब्ध |
| | ब–एंजियोग्रॉफी | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | | उपलब्ध |
| | स–एंजियोप्लास्टी | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | | उपलब्ध |
| | द–पेसमेकर इम्प्लान्टेशन | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | | | उपलब्ध |
| | ध–वेल्वोप्लास्टी | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | | उपलब्ध |
| | न–ओपेन हार्ट सर्जरी | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | | उपलब्ध |
| | प–वाल्व रिप्लेसमेन्ट | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | | उपलब्ध |
| 3 | **लीवर** | | | | | | | – | – |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | | |
| | ब–जीवनरक्षक शल्य कियाएं, जैसे कि स्टंटिंग एवं शंट ऑपरेशन | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | |
| | स–लीवर प्रत्यारोपण | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | |
| 4 | **किडनी** | | | | | | | – | – |
| | अ–चिकित्सीय उपचार | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | | |
| | ब–डायलिसिस | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | | |
| | स–साल्वेज शल्य कियाएं, जैसे कि स्टंटिंग | अनुपलब्ध | उपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | उपलब्ध | | |
| | द–गुर्दा प्रत्यारोपण | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | | |

<u>नोट</u>:–कानपुर मेडिकल कालेज के अतिरिक्त अन्य मेडिकल कालेजों में सम्बन्धित विशिष्टता के विभाग (कैंसर के अतिरिक्त) अभी संचालित नहीं हैं। मेडिसिन/सर्जरी विभाग के अन्तर्गत् उपलब्ध सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा ही ऐसे रोगियों के चिकित्सा उपचार की कार्यवाही की जाती है।